न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः— 11/2018

1. सावित्री देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी विजय कुमार जाति खटीक निवासी यादव पार्क नागलोई रोड कबरूद्दीन नगर नई दिल्ली।
2. गुड्डी उर्फ केशवती पुत्री रामजीलाल पत्नी राजू जाति खटीक निवासी खटीक मोहल्ला नयावास वैर भरतपुर।
3. पोखनचन्द
4. दलबीर पुत्रान रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. बलवीर
2. बनैसिंह पुत्रान रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन
3. बच्चू सिंह
4. रोहताश पुत्रान जगन्नाथ जाति खटीक निवासी उच्चैन
5. प्रभा कुमारी पत्नी मांगी जाति खटीक निवासी धनीराम कॉलोनी रूपवास भरतपुर।
6. अंगूरी पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन।
7. सोहनलाल पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी उच्चैन
8. विमला पत्नी दौलतसिंह जाति खटीक निवासी उच्चैन
9. निरंजन पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी उच्चैन तहसील रूपवास।
10. किरोडी पुत्र घसीडा जाति जाटव, निवासी रसीलपुर (मृतक)

10/1. प्रेम पुत्री किरोडी पत्नी नैमी जाति जाटव निवासी नगला नगरिया भर्गेरा तह0 कुम्हेर ।

10/2. उर्मिला पुत्री किरोडी पत्नी अमरसिंह जाति जाटव निवासी नगला नगरिया भर्गेरा त्हसील कुम्हेर।

10/3. गीता पुत्री किरोडी पत्नी नेत्रपाल जाति जाटव निवासी मलसराय तहसील गोवरधन जिला मथुरा।

10/4. राजेश पुत्री किरोडी पत्नी नेगसिंह जाति जाटव निवासी मलसराय तह0 गोवरधन जिला मथुरा।

10/5. राखी पुत्री विजयसिंह पत्नी आकाश जाति जाटव निवासी हुलियाना तह0 कठूमर जिला अलवर।

11. शाखा प्रबन्धक महोदय पीएनबी बैंक उच्चैन।
12. तहसीलदार महोदय तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट
3. श्री गोरधन सिंह धनकर एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः—29.04.2026**

प्रार्थीगण ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 154/3—10, 155/0—18, 156/1—19 बाके ग्राम जुगलापट्टी एवं खसरा नम्बर 1193/1/1—01 ग्राम तुहिया पट्टी तथा आराजी खसरा नम्बर 568/0—14, 570/6—15, 571/2—15, 572/3—09, 573/9—09, 574/2—11, 575/2—08, 576/0—08, 577/1—18 बाके ग्राम अंधियारी में स्थित है। हम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 10 के मध्य पूर्व में ही मनवट के आधार पर विभाजन हो गया था यानि कि उक्त समस्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 7 लगा0 10 का हिस्सा अलग है तथा हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 का एक हिस्सा अलग हो रहा है जिस पर हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 5 संयुक्त रूप से आज तक निर्विवाद रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं अपना और अपने परिवार का जीवनयापन करते चले आ रहे है लेकिन अब बढती कीमतों के कारण सहखातेदारान की नियत में बदयानति आ रही है जिसके चलते आये रोज हम सहखातेदारान के मध्य झगडे होते रहते है तथा काश्त करना मुश्किल हो रहा है। उक्त विवादित आराजी आबादी के नजदीक होने के कारण कीमती हो गई है तथा आबादी से लगे हुये खसरा नम्बर 1193/1/1—01 के हिस्सा 1/2 पर बनैसिंह बलवीर बच्चूसिंह उर्फ नोनू तथा रोहिताश ने अपने मकान बना रखे है जिसमें आज भी उक्त लोग निवास कर रहे है लेकिन फिर इन लोगों की नीयत में बेईमानी आ रही है तथा अपनी इसी इच्छा की पूर्ती हेतु प्रतिवादीगण उक्त आराजी विवादित के आबादी एवं सडक से लगे हुये कीमती हिस्से पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण करना चाहते है तथा विवादित आराजी के कीमती भाग को पूर्व में भी पुख्ता मकान बना कर हडप चुके है तथा पुनः निर्माण पुख्ता कर हडपने पर उतारू है। दिनांक 25.03.2018 को प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं एलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजी के आबादी व सडक से लगे हिस्से पर पुख्ता निर्माण कर कब्जा कर लेंगे। प्रतिवादीगण की उक्त धमकी के कारण वादीगण ने यह वादपत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 संख्या 7 की ओर से श्री संजय कुमार एड0 ने जबाव पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 6 एवं वादीगण ने प्रशासन गांव के संग अधियान 2021 ग्रा0पं0 अंधियारी में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 10 के वारिसान की ओर से श्री गोरधन सिंह एड0 ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। प्रतिवादी संख्या 8,9 की ओर से श्री गिरधर छावडी एड0 ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया। आपसी सहमति के आधार पर उक्त प्रकरण को दिनांक 05.05.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। उक्त प्रकरण में तहसीलदार उच्चैन से

दिनांक 19.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीगण के द्वारा एतराज प्रस्तुत किया गया था जिसको स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उच्चैन से पुनःविभाजन प्रस्ताब मंगबाये गये। तहसीलदार उच्चैन से दिनांक 16.12.2025 को पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये। उक्त विभाजन प्रस्ताब पर भी वादीगण द्वारा एतराज प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.04.2026 को वादीगण की ओर से श्री दुलीचंद शर्मा एडवोकेट उपस्थित आये। दिनांक 28.04.2026 को वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र को विड्रो किया गया। अभिभाषक वादीगण द्वारा ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर के प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताब में वादनी संख्या 1 व 2 के हिस्से को एक साथ किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक वादीगण के निवेदन पर ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर में तहसीलदार उच्चैन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताब में आंशिक संशोधन किया गया। **(ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर के विभाजन प्रस्ताव में कुरा नम्बर 3 में गुड्डी उर्फ केशवती पुत्री रामजीला हि. पूर्ण जाति खटीक सा. उच्चैन खातेदार के स्थान पर बलवीर पुत्र रामजीलाल हि. पूर्ण जाति खटीक सा. उच्चैन खातेदार को हिस्सा दिया जावे एवं कुरा नम्बर 9 में बलवीर पुत्र रामजीलाल हि. पूर्ण जाति खटीक सा. उच्चैन खातेदार के स्थान पर गुड्डी उर्फ केशवती पुत्री रामजीलाल हि. पूर्ण जाति खटीक सा. उच्चैन खातेदार को हिस्सा दिया जावे शेष विभाजन प्रस्ताब यथाबत रहेगा।)** उभयपक्ष के अधिवक्तागण के द्वारा तहसीलदार उच्चैन के द्वारा दिनांक 16.12.2025 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताब एवं दिनांक 28.04.2026 को ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर के विभाजन प्रस्ताब में किये गये आंशिक संशोधन के अनुसार उक्त प्रकरण को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड तहसीलदार उच्चैन के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताब एवं दिनांक 28.04.2026 को ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर के विभाजन प्रस्ताब में किये गये आंशिक संशोधन का अवलोकन किया गया। वाद पत्र वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

वादपत्र वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव में किये गये आंशिक संशोधन के अनुसार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा 16.12.2025 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताब एवं विभाजन प्रस्ताब के साथ संलग्न नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगें। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताब एवं ग्राम जुगला पट्टी पटवार हल्का फतेहपुर के विभाजन प्रस्ताब में किये गये आंशिक संशोधन के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक खाते संधारित करेंगे, भू–राजस्व निर्धारित करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम उच्चैन

व इजलास श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (R.A.S.)

सावित्री देवी बनाम बलवीर वगैरह

दावा बाबत् धारा 53, 188 RTA

मुकदमा नं. 11/2018 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री दुलीचंद शर्मा एड० मिनजानिब

श्री गोरधन सिंह धनकड़ एड० मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव में किये गये आंशिक संशोधन के अनुसार डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा 16.12.25 को प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न तयशुदा नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव एवं ग्राम खुरगमा पट्टी परवार, हल्का फतेहपुर के विभाजन प्रस्ताव में किये गये आंशिक संशोधन के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक खाते संधारित करेंगे, व राजस्व निर्धारित करेंगे।

आज मुबलिग बाबत्

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 04 वर्ष 2026 को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर)

मुहर

ओहदा

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....						
मीजान	....			मीजान	....		

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांकः– 11/2018

1. सावित्री देवी पुत्री रामजीलाल पत्नी विजय कुमार जाति खटीक निवासी यादव पार्क नागलोई रोड कबरूद्दीन नगर नई दिल्ली।
2. गुड्डी उर्फ केशवती पुत्री रामजीलाल पत्नी राजू जाति खटीक निवासी खटीक मोहल्ला नयावास वैर भरतपुर।
3. पोखनचन्द
4. दलबीर पुत्रान रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन भरतपुर।

................वादीगण

बनाम

1. बलवीर
2. बनैसिंह पुत्रान रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन
3. बच्चू सिंह
4. रोहताश पुत्रान जगन्नाथ जाति खटीक निवासी उच्चैन
5. प्रभा कुमारी पत्नी मांगी जाति खटीक निवासी धनीराम कॉलोनी रूपवास भरतपुर।
6. अंगूरी पत्नी स्व0 रामजीलाल जाति खटीक निवासी उच्चैन।
7. सोहनलाल पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी उच्चैन
8. विमला पत्नी दौलतसिंह जाति खटीक निवासी उच्चैन
9. निरंजन पुत्र नारायण जाति खटीक निवासी उच्चैन तहसील रूपवास।
10. किरोडी पुत्र घसीडा जाति जाटव, निवासी रसीलपुर (मृतक)

10/1. प्रेम पुत्री किरोडी पत्नी नैमी जाति जाटव निवासी नगला नगरिया भर्गेरा तह0 कुम्हेर ।

10/2. उर्मिला पुत्री किरोडी पत्नी अमरसिंह जाति जाटव निवासी नगला नगरिया भर्गेरा त्हसील कुम्हेर।

10/3. गीता पुत्री किरोडी पत्नी नेत्रपाल जाति जाटव निवासी मलसराय तहसील गोवरधन जिला मथुरा।

10/4. राजेश पुत्री किरोडी पत्नी नेगसिंह जाति जाटव निवासी मलसराय तह0 गोवरधन जिला मथुरा।

10/5. राखी पुत्री विजयसिंह पत्नी आकाश जाति जाटव निवासी हुलियाना तह0 कठूमर जिला अलवर।

11. शाखा प्रबन्धक महोदय पीएनबी बैंक उच्चैन।
12. तहसीलदार महोदय तहसील उच्चैन।

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53,188 आर.टी.ए.